



संख्या- 72/2026/001-1600-81-4-26

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में "उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण/संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृद्ध संरक्षण" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के पत्र संख्या-पी-162/36-टी-77 (यू०पी० गैण्डा) दिनांक 12.08.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में वित्तीय वर्ष 2026-27 में "उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण/संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृद्ध संरक्षण" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रु० 154.80 लाख (रु० एक करोड़ चौवन लाख**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल एवं प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्यवता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
3. योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का आवंटन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र दिनांक 12.08.2026 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष 30प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
6. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति/स्थलीय निरीक्षण (भौतिक सत्यापन) रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई- टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्यमद में किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्याक्ष, उ०प्र० यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2406021101000 (उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406021101000 उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण	39 औषधि तथा रसायन	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
2	060	2406021101000 उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण	42 अन्य व्यय	1,27,00,000 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)
3	060	2406021101000 उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति	44 प्रशिक्षण हेतु	2,00,000 (रुपये दो लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण	यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	मात्र)
	कुल			1,38,00,000 (रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र)

लेखाशीर्षः 4406021101000 (उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	4406021101000 उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण	24 वृहत् निर्माण कार्य	4,80,000 (रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र)
2	060	4406021101000 उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण	25 लघु निर्माण कार्य	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	060	4406021101000 उत्तर प्रदेश में गैण्डों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण /संकटापन्न वन्य जीवों एवं	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण	और संयंत्र	
	कुल			16,80,000 (रुपये सोलह लाख अस्सी हजार मात्र)

महायोग	1,54,80,000 (रुपये एक करोड़ चौवन लाख अस्सी हजार मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय जाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।**

संख्या- 72(1)/2026/001-1600-81-4-26, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।